न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास — मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या — 33/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1श्रीपाल खुडखुडिया पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी खुडखुडियो की ढाणी, देशवाल पो. ओलादन तहसील मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म—महाशिव किराणा स्टोर, रिलांयस टावर के पास, मेडतारोड, जिला नागौर। 2गोविन्दराम पुत्र मदनराम निवासी कुम्हारो का बास, मुकाम व पोस्ट जसवंताबाद तहसील मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म—श्री श्याम फूड प्रोडेक्ट, ताबीजी बॉयबास, ब्यावर रोड, अजमेर। 3 फर्म—श्री श्याम फूड प्रोडेक्ट, ताबीजी बॉयबास, ब्यावर रोड, अजमेर।

आदेश

दिनांक : 17-01-2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26-02-2018 को मैसर्स महाशिव किराणा स्टोर, मेडतारोड पर खाद्य पदार्थ घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 949 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 230/एक्ट/2018/249 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) मिस—ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण श्रीपाल खुडखुडिया पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी खुडखुडियो की ढाणी, देशवाल पो. ओलादन, तहसील मेडतासिटी जिला नागौर, गोविन्दराम पुत्र मदनराम निवासी कुम्हारो का बास, मुकाम व पोस्ट जसवंताबाद तहसील मेडतासिटी जिला नागौर तथा फर्म—श्री श्याम फूड प्रोडेक्ट, अजमेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-10-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 दिनांक 10.01.2019 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए तथा इसके पश्चात न तो अप्रार्थीगण उपस्थित हुए है और न ही उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किये गये।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 230/एक्ट/2018/249 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (डेयरी शक्ति ब्राण्ड) का नमूना Mis-Branded पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 श्रीपाल खुडखुडिया पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी खुडखुडियो की ढाणी, देशवाल पो. ओलादन, तहसील मेडतासिटी जिला नागौर, पर 20,000/— रू. अक्षरे बीस रू., एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 गोविन्दराम पुत्र मदनराम निवासी कुम्हारो का बास, मुकाम व पोस्ट जसवंताबाद तहसील मेडतासिटी जिला नागौर तथा फर्म—श्री श्याम फूड प्रोडेक्ट, अजमेर पर संयुक्त रूप से 30,000/— अक्षरे रूपये तीस हजार कुल 50,000/— रू. अक्षरे पचास हजार रू. शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)